हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन–2022

01. **सामान्य जानकारी :–**

- राज्य में कुल नगरीय निकायों की संख्या – 413

1.	नगरपालिक निगम	–	16
2.	नगरपालिका परिषद्	–	99
3.	नगर परिषद्	–	298 (इसमें 35 नवगठित नगर परिषद सम्मिलित है।)
	कुल	–	**413**

- पूर्व से गठित 378 नगरीय निकायों में से 321 नगरीय निकायों कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 57 नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 321 निकायों में से 318 निकायों के तथा नवगठित 35 नगरीय निकायों में से 29 नगर परिषदों के अर्थात् 347 नगरीय निकायों के निर्वाचन कराये जाने के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा रहा है।

- आयोग द्वारा दिनांकः–01/01/2022 की स्थिति में राज्य के 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांकः–10/05/2022 को तथा नगरपालिका परिषद खरगोन की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांकः–26/05/2022 को किया गया है। नगरपालिका परिषद् पन्ना जिला–पन्ना तथा नवगठित नगर परिषद् बरोदियाकलां जिला–सागर की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक–06.06.2022 को किया जा रहा है।

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा एवं नगरपालिका परिषद् खुरई जिला–सागर, नगरपालिका परिषद मलाजखण्ड जिला–बालाघाट के क्षेत्र विस्तार/ संकुचन की कार्यवाही की गई है। इन 03 नगरीय निकायों में वार्डों के विभाजन तथा आरक्षण की कार्यवाही मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। वार्ड विभाजन की कार्यवाही के पश्चात् आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

- नवगठित 06 नगरीय निकायों के वार्ड विभाजन की कार्यवाही मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। वार्ड विभाजन की कार्यवाही के पश्चात् आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

- नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर सम्पादित किये जायेंगे।

- प्रत्येक नगरीय निकाय के लिये 01 रिटर्निंग ऑफिसर और उसकी सहायता के लिये 02 या उससे अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी रहेगें।

2. पदों की संख्या :–

- प्रस्तावित निर्वाचन हेतु नगरीय निकायों एवं पदों की संख्या :–

क्रमांक	नगरीय निकायों का प्रकार	नगरीय निकायों की संख्या	वार्डों की संख्या
1.	नगरपालिक निगम	16	884
2	नगरपालिका परिषद	76	1795
3.	नगर परिषद् (पूर्व से गठित)	226	3393
4.	नवगठित नगर परिषद्	29	435

- आयोग द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से 347 नगरीय निकायों के 6507 पार्षदों एवं 16 नगरपालिक निगम के महापौर का निर्वाचन कराया जा रहा है।
- नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषदों के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अधिनियमों के प्रावधान अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा।

3. निर्वाचन कार्यक्रम :–

- प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन – 2022 हेतु दो चरणों में मतदान करवाया जा रहा है। निर्वाचन कार्यक्रम एवं नगरीय निकायों की चरणवार जानकारी संलग्न है।

चरणवार क्षेत्र विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	नगरीय निकायों का प्रकार	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद	कुल नगरीय निकाय	मतदान केन्द्रों की संख्या
1.	प्रथम चरण	11	36	86	133	13148
2.	द्वितीय चरण	05	40	169	214	6829
	योग	16	76	255	347	19977

- एक चरण में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले जिलों की संख्या – 11
- दो चरणों में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले जिलों की संख्या – 38
- जिला–अलीराजपुर, मण्डला एवं डिण्डोरी की नगरीय निकायों का कार्यकाल पूर्ण नहीं होने के कारण वहाँ निर्वाचन नहीं करवाया जा रहा है।

4. मतदाता सूची :–

- मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 1,53,23,738 मतदाता है।
    - पुरूष मतदाता – 78,68,406
    - महिला मतदाता – 74,54,236
    - अन्य मतदाता – 1,096

5. मतदान केन्द्र :–

- प्रदेश में निर्वाचन हेतु कुल 19,977 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- औसत मतदाताओं की संख्या प्रति मतदान केन्द्र 767 है।

6. <u>नामनिर्देशन पत्र की व्यवस्था</u> :–

- नगरपालिक निगम के महापौर तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद् पद हेतु नामनिर्देशन पत्र (प्ररूप–3) में प्राप्त किये जायेंगे।
- नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्नानुसार निक्षेप राशि जमा करना होगी :–

नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु	–	रूपये 20,000/–
नगरपालिक निगम के पार्षद पद हेतु	–	रूपये 5000/–
नगरपालिका परिषद् के पार्षद पद हेतु	–	रूपये 3000/–
नगर परिषद् के पार्षद पद हेतु	–	रूपये 1000/–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।
- नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ–पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी।
- रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा।
- नगरीय निकायों के निर्वाचन में "नोटा" (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध है।
- रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नामनिर्देशन प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।

7. <u>मतदान दल</u> :–

- निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान केन्द्रों पर लगभग 87937 मतदान कर्मी नियुक्त किये जायेंगे।
- मतदान केन्द्रों पर नियोजित किये जाने हेतु जिलेवार डाटाबेस तैयार कर लिया गया है।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।
- 1200 से अधिक वाले मतदाता संख्या वाले मतदान केन्द्रों पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी की नियुक्ति की जायेगी।
- मतदान कर्मियों के तीसरे रेण्डमाईज़ेशन का समय मतदान प्रारम्भ होने के 24 घण्टे पूर्व किया जायेगा।

8. <u>निर्वाचन व्यय लेखा</u>:–

- नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा :–

महापौर–व्यय सीमा		
नगरीय निकाय का प्रकार	**जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या**	**निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा**
(1)	(2)	(3)
नगरपालिक निगम	(एक) 10 लाख से अधिक (दो) 10 लाख से कम	(एक) रू. 35 लाख (दो) रू. 15 लाख

- आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में पार्षद् पद हेतु निर्वाचन व्यय लेखा संधारण का प्रावधान प्रथम बार किया गया है। पार्षद पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा निम्नानुसार है:–

पार्षद्–व्यय सीमा		
नगरीय निकाय का प्रकार	**जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या**	**निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा**
(1)	(2)	(3)
नगरपालिक निगम	(एक) 10 लाख से अधिक (दो) 10 लाख से कम	(एक) रू. 8.75 लाख (दो) रू. 3.75 लाख
नगरपालिका परिषद्	(एक) 1 लाख से अधिक (दो) 50 हजार से 1 लाख तक (तीन) 50 हजार से कम	(एक) रू. 2.5 लाख (दो) रू. 1.5 लाख (तीन) रू. 1 लाख
नगर परिषद्		रू. 75 हजार

- अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण नहीं किये जाने अथवा मतगणना परिणाम के 30 दिवस के भीतर रिटर्निंग आफिसर को दाखिल नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्हरित किये जाने का प्रावधान है।

9. <u>मतदान एवं मतगणना</u> :–

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 दिनांक–26.05.2022 के अनुसार नगरपालिक निगम में महापौर पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से किया जायेगा।
- नगरपालिक निगम के महापौर एवं नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् में पार्षद पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से ईव्हीएम से कराया जायेगा।
- निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु मतपत्रों का रंग निम्नानुसार निर्धारित है :–
  - नगरपालिक निगम महापौर – सफेद
  - नगरपालिक निगम पार्षद् – गुलाबी
  - नगरपालिका परिषद् पार्षद् – पीला
  - नगर परिषद् पार्षद् – नीला
- समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होगा।
- मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।
- मतगणना आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर की जायेगी।

10. ई.व्ही.एम. प्रबंधन :–

- नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु प्रदेश में कुल 55,000 ई.व्ही.एम. उपलब्ध है। निर्वाचन हेतु 30761 ई.व्ही.एम. का उपयोग किया जायेगा।

- विभिन्न चरणों में उपयोग में लाई जाने वाली ई.व्ही.एम. की संख्या (रिज़र्व सहित) निम्नानुसार है :–

क्रमांक	चरण	ई.व्ही.एम. की संख्या
1	प्रथम	18689
2	द्वितीय	12072

- नगरपालिक निगम हेतु महापौर एवं पार्षद् पदों के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर 01 कंट्रोल यूनिट एवं 02 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जायेगा। किसी भी पद पर 15 से अधिक अभ्यर्थियो की स्थिति में 01 अतिरिक्त बैलेट यूनिट का उपयोग किया जायेगा।

- शेष नगरीय निकायों में पार्षद् पद के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर 01 कंट्रोल यूनिट तथा 01 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। 15 से अधिक अभ्यर्थियो की स्थिति में 01 अतिरिक्त बैलेट यूनिट का उपयोग किया जायेगा।

- नगरपालिक निगम इन्दौर एवं भोपाल हेतु प्रत्येक वार्ड के लिए 05 ई.व्ही.एम. तथा नगरपालिक निगम जबलपुर एवं ग्वालियर के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 03 ई.व्ही.एम. रिज़र्व रखी गयी है।

- इसके अतिरिक्त शेष नगरपालिक निगम एवं नगरपालिका परिषद् में प्रत्येक वार्ड के लिए 02 ई.व्ही.एम. एवं नगर परिषद के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 01 ई.व्ही.एम. रिज़र्व रखी गयी है।

- आयोग द्वारा प्रयुक्त ई.व्ही.एम. में मतदान का डाटा सुरक्षित रखे जाने हेतु डी.एम.एम. (Detachable Memory Module) का उपयोग किया जाता है।

- ई.व्ही.एम. मशीनों की एफ.एल.सी. जनप्रतिनिधियों के समक्ष ई.सी.आई.एल. के इंजीनियरों द्वारा सम्पन्न की गयी है।

11. निर्वाचन प्रतीक :–

- निर्वाचन प्रतीक एवं आरक्षण आदेश 1968 के अनुक्रम में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को उनके लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेगें।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु 37 एवं नगरपालिक निगम /नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के पार्षद् पद हेतु 31 मुक्त निर्वाचन प्रतीक अधिसूचित किये गये है। इनका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांकः–30/05/2022 में किया गया है।

12. <u>सूचना प्रोद्यौगिकी (IT) का उपयोग</u> :–

- निर्वाचन में सूचना प्रोद्यौगिकी का उपयोग किया जायेगा।

- नगरीय निकायों अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन हेतु OLIN (Online Nomination) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप/डेस्कटॉप से या सायबर कैफे/MP-Online कियोस्क/लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नामनिर्देशन पत्र भर सकता है।

- OLIN के माध्यम से भरे गये नामनिर्देशन पत्र की हार्डकॉपी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- निर्वाचन हेतु मतदान दल एवं मतगणना दल गठन NIC द्वारा विकसित CEMS (Common Election Management System) सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा।
- मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in पर अथवा "चुनाव" मोबाईल एप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

13. सुरक्षा प्रबंध :–

- सुरक्षा प्रबंध हेतु अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक म.प्र. के साथ समीक्षा की गयी है।
- स्ट्रांग रूम, मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।
- नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के लिए प्रदेश में मतदान केन्द्रों को संवेदनशील/अतिसंवेदनशील श्रेणी में चिन्हित कर मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।
- शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जायेगी।
- निर्वाचन हेतु सभी जिलों में अतिरिक्त रूप से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियाँ कर ली गयी है।

14. निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम :–

- नगरीय निकायों के निर्वाचन में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 एवं मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है।
- निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दण्ड का प्रवधान किया गया है। जिसमें 06 माह की सजा एवं रूपये 25000/– मात्र निर्धारित किया गया है।

15. शिकायत निवारण :–

- निर्वाचन सम्बंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोलरूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755–2551076 है।
- जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय कंट्रोलरूम स्थापित किये जा रहे है।

16. प्रेक्षक :–

- निर्वाचन के पर्यवेक्षण हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में प्रेक्षक नियुक्त किये जायेंगे।

17. मतदाता जागरूकता :–

- मतदाता जागरूकता हेतु SENSE (Systematic Education Nurturing Sensitization Electorate) से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
- मतदाताओं को ई.व्ही.एम. की कार्यप्रणाली से अवगत करवाते हुए अधिकाधिक मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

18. आदर्श आचरण संहिता :–

- निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने सम्बंधी घटनाओं पर नियंत्रण हेतु आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी।

- आर्दश आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे। राजनैतिक दलों पर भी ये प्रावधान समान रूप से लागू होंगे।

19. <u>चुनाव प्रचार</u> :–

- निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा/रैली/ जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

***

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की चरणवार जानकारी

प्रथम चरण | **द्वितीय चरण**

क्र0	जिला	क्र0	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या	क्र0	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	1	नगरपालिक निगम भोपाल	85	2170	1	नगरपालिका परिषद बैरसिया	18	35
				85	2170			18	35
2	राजगढ़	2	नगरपालिका परिषद राजगढ़	15	34	2	नगरपालिका परिषद नरसिंहगढ़	15	33
		3	नगरपालिका परिषद ब्यावरा	18	52	3	नगरपालिका परिषद सारंगपुर	18	40
		4	नगर परिषद् खुजनेर	15	15	4	नगर परिषद् कुरावर	15	20
		5	नगर परिषद सुठालिया	15	15	5	नगर परिषद् बोड़ा	15	15
						6	नगर परिषद् पचोर	15	28
						7	नगर परिषद् खिलचीपुर	15	20
						8	नगर परिषद् जीरापुर	15	21
						9	नगर परिषद् माचलपुर	15	15
						10	नगर परिषद् तलेन	15	15
						11	नगर परिषद् छापीहेड़ा	15	15
				63	116			153	222
3	रायसेन	6	नगर परिषद् सिलवानी	15	23	12	नगरपालिका परिषद रायसेन	18	58
		7	नगर परिषद् बाड़ी	15	20	13	नगरपालिका परिषद बेगमगंज	18	36
		8	नगर परिषद् बरेली	15	37	14	नगरपालिका परिषद मण्डीदीप	26	101
						15	नगर परिषद् सांची	15	15
						16	नगर परिषद् गैरतगंज	15	20
						17	नगर परिषद् ओबेदुल्लागंज	15	26
						18	नगर परिषद् सुल्तानपुर	15	15
						19	नगर परिषद् उदयपुरा	15	17
				45	80			137	288
4	सीहोर	9	नगरपालिका परिषद सीहोर	35	106	20	नगरपालिका परिषद आष्टा	18	55
						21	नगर परिषद् जावर	15	15
						22	नगर परिषद् कोठरी	15	15
						23	नगर परिषद् इछावर	15	17
						24	नगर परिषद् नसरूल्लागंज	15	26
						25	नगर परिषद् बुदनी	15	18
						26	नगर परिषद् रेहटी	15	15
						27	नगर परिषद् शाहगंज	15	15
				35	106			123	176
5	विदिशा	10	नगरपालिका परिषद विदिशा	39	153	28	नगरपालिका परिषद सिरोंज	21	47
		11	नगरपालिका परिषद गंजबासोदा	24	78	29	नगर परिषद् कुरवाई	15	18
						30	नगर परिषद् लटेरी	15	20
						31	नगर परिषद् शमशाबाद	15	15
				63	231			66	100
6	इन्दौर	12	नगरपालिक निगम इन्दौर	85	2250				
		13	नगर परिषद बेटमा	15	17				
		14	नगर परिषद देपालपुर	15	19				
		15	नगर परिषद गौतमपुरा	15	15				
		16	नगर परिषद हातोद	15	16				
		17	नगर परिषद महूगांव	15	36				

		18	नगर परिषद मानपुर	15	15				
		19	नगर परिषद राऊ	15	47				
		20	नगर परिष सांवेर	15	21				
				205	2436				
7	खरगौन					32	नगरपालिका परिषद खरगोन	33	122
						33	नगरपालिका परिषद बड़वाह	18	34
						34	नगरपालिका परिषद सनावद	18	47
						35	नगर परिषद् कसरावद	15	25
						36	नगर परिषद् करही पाडल्याखुर्द	15	15
						37	नगर परिषद बिस्टान *	15	19
								114	262
8	खण्डवा	21	नगरपालिक निगम खण्डवा	50	195	38	नगर परिषद् मूंदी	15	16
						39	नगर परिषद् पंधाना	15	15
				50	195			30	31
9	धार	22	नगर परिषद बदनावर	15	28	40	नगर परिषद माण्डव	15	15
				15	28			15	15
10	झाबुआ					41	नगर परिषद् मेघनगर	15	16
								15	16
11	बुरहानुपर	23	नगरपालिक निगम बुरहानपुर	48	207				
		24	नगर परिषद् शाहपुर	15	22				
				63	229				
12	बडवानी					42	नगर परिषद् ठीकरी*	15	19
						43	नगर परिषद् निवाली बुजुर्ग*	15	19
								30	38
13	ग्वालियर	25	नगरपालिक निगम ग्वालियर	66	1169				
		26	नगरपालिका परिषद डबरा	30	165				
		27	नगर परिषद् आंतरी	15	15				
		28	नगर परिषद् भितरवार	15	22				
		29	नगर परिषद् बिलौआ	15	15				
		30	नगर परिषद् पिछोर	15	15				
		31	नगर परिषद मोहना*	15	20				
				171	1421				
14	गुना	32	नगरपालिका परिषद गुना	37	195	44	नगर परिषद् चाचौड़ा बीनागंज	.15	22
						45	नगर परिषद् कुंभराज	15	18
						46	नगर परिषद आरोन	15	31
						47	नगर परिषद् मधुसूदनगढ*	15	22
				37	195			60	93
15	शिवपुरी	33	नगर परिषद् बदरवास	15	16	48	नगरपालिका परिषद शिवपुरी	39	157
		34	नगर परिषद् खनियाधाना	15	17	49	नगर परिषद् बैराढ़	15	21
		35	नगर परिषद रन्नौद*	15	15	50	नगर परिषद् कोलारस	15	24
						51	नगर परिषद् करेरा	15	29
						52	नगर परिषद पिछोर	15	17
						53	नगर परिषद् पोहरी *	15	19
						54	नगर परिषद् मगरौनी*	15	15
				45	48			129	282
16	अशोकनगर	36	नगरपालिका परिषद अशोकनगर	22	92	55	नगरपालिका परिषद चंदेरी	21	37
		37	नगर परिषद् शाढौरा	15	15	56	नगर परिषद् मुगावली	15	36
						57	नगर परिषद् ईसागढ़	15	15
						58	नगर परिषद पिपरई*	15	23

				37	107			66	111
17	दतिया	38	नगरपालिका परिषद दतिया	36	100	59	नगर परिषद् भांडेर	15	29
		39	नगर परिषद् बडौनीखुर्द	15	15	60	नगर परिषद् सेंवढ़ा	15	27
						61	नगर परिषद् इन्दरगढ़	15	28
				51	115			45	84
18	जबलपुर	40	नगरपालिक निगम जबलपुर	79	1187	62	नगर परिषद् शाहपुरा	15	17
		41	नगरपालिका परिषद पनागर	15	32	63	नगर परिषद् मझौली	15	15
		42	नगरपालिका परिषद सिहोरा	18	42	64	नगर परिषद् कटंगी	15	24
		43	नगर परिषद् बरेला	15	17	65	नगर परिषद् पाटन	15	15
		44	नगर परिषद् भेडघाट	15	15				
				142	1293			60	71
19	छिंदवाड़ा	45	नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा	48	225	66	नगरपालिका परिषद चौरई	15	15
		46	नगरपालिका परिषद् अमरवाड़ा	15	15	67	नगरपालिका परिषद डोंगर परासिया	21	44
						68	नगर परिषद् बड़कुही	15	15
						69	नगर परिषद् लोधीखेड़ा	15	15
						70	नगर परिषद् पिपलानारायणवार	15	15
						71	नगर परिषद् चांदामेटा बुटारिया	15	15
						72	नगर परिषद् बिछुआ	15	15
						73	नगर परिषद् चांद	15	15
						74	नगर परिषद् न्यूटन चिखली	15	15
				63	240			141	164
20	सिवनी	47	नगरपालिका परिषद् सिवनी	24	118	75	नगर परिषद छपारा*	15	25
		48	नगर परिषद् बरघाट	15	16	76	नगर परिषद केवलारी*	15	23
				39	134			30	48
21	बालाघाट	49	नगरपालिका परिषद वारासिवनी	15	32	77	नगरपालिका परिषद बालाघाट	33	93
						78	नगर परिषद् कटंगी	15	20
						79	नगर परिषद् लांजी	15	17
				15	32			63	130
22	नरसिंहपुर	50	नगरपालिका परिषद नरसिंहपुर	28	71				
		51	नगरपालिका परिषद करेली	15	32				
		52	नगरपालिका परिषद गोटेगांव	15	30				
		53	नगरपालिका परिषद गाडरवाड़ा	24	60				
		54	नगर परिषद् तेंदूखेड़ा	15	15				
		55	नगर परिषद् सांईखेड़ा	15	15				
		56	नगर परिषद् चिचली	15	15				
		57	नगर परिषद् सालीचौका (बाबई कलां)	15	15				
				142	253				
23	कटनी	58	नगर परिषद् विजयराघवगढ़	15	15	80	नगरपालिक निगम कटनी	45	218
		59	नगर परिषद् कैमोर	15	23	81	नगर परिषद् बरही	15	17
				30	38			60	235
24	उज्जैन	60	नगरपालिक निगम उज्जैन	54	568	82	नगरपालिका परिषद महिदपुर	18	36
		61	नगरपालिका परिषद बड़नगर	18	37	83	नगरपालिका परिषद खाचरौद	21	37
						84	नगरपालिका परिषद नागदा	36	96
						85	नगर परिषद् तराना	15	31
						86	नगर परिषद् माकडोन	15	15
						87	नगर परिषद् उन्हेल	15	16
				72	605			120	231
25	नीमच	62	नगरपालिका परिषद नीमच	40	112	88	नगर परिषद् नयागांव	15	15

		63	नगर परिषद् जीरन	15	15	89	नगर परिषद् जावद	15	17
						90	नगर परिषद् डिकेन	15	15
						91	नगर परिषद् रतनगढ़	15	15
						92	नगर परिषद् सिंगोली	15	15
						93	नगर परिषद् सरवनिया महाराज	15	15
						94	नगर परिषद् मनासा	15	28
						95	नगर परिषद् कुकड़ेश्वर	15	15
						96	नगर परिषद् रामपुरा	15	18
						97	नगर परिषद् अठाना	15	15
				55	127			150	168
26	रतलाम	64	नगर परिषद् आलोट	15	25	98	नगरपालिक निगम रतलाम	49	270
		65	नगर परिषद् ताल	15	15	99	नगरपालिका परिषद जावरा	30	65
						100	नगर परिषद् नामली	15	15
						101	नगर परिषद् पिपलौदा	15	15
						102	नगर परिषद् बड़ावदा	15	15
						103	नगर परिषद् धामनोद	15	15
				30	**40**			**139**	**395**
27	शाजापुर	66	नगरपालिका परिषद शाजापुर	29	67	104	नगरपालिका परिषद शुजालपुर	25	56
		67	नगर परिषद् मक्सी	15	19	105	नगर परिषद् पानखेड़ी	15	16
						106	नगर परिषद् अकोदिया	15	15
						107	नगर परिषद् पोलायकलां	15	15
				44	86			70	102
28	आगर मालवा	68	नगर परिषद बडोद	15	15	108	नगरपालिका परिषद आगर मालवा	23	43
						109	नगर परिषद् कानड	15	15
						110	नगर परिषद् नलखेड़ा	15	17
						111	नगर परिषद् सुसनेर	15	17
						112	नगर परिषद सोयतकलां	15	16
						113	नगर परिषद बडागांव	15	15
				15	15			98	123
29	मन्दसौर	69	नगरपालिका परिषद मन्दसौर	40	149	114	नगर परिषद् मल्हारगढ़	15	15
		70	नगर परिषद् नगरी	15	15	115	नगर परिषद् नारायणगढ़	15	15
						116	नगर परिषद् पिपल्यामंडी	15	15
						117	नगर परिषद् सीतामउ	15	17
						118	नगर परिषद् शामगढ़	15	27
						119	नगर परिषद् सुवासरा	15	17
						120	नगर परिषद् भानपुरा	15	26
						121	नगर परिषद् गरोठ	15	21
						122	नगर परिषद भैंसोदा *	15	15
				55	**164**			**135**	**168**
30	देवास	71	नगर परिषद बागली	15	15	123	नगरपालिक निगम देवास	45	269
		72	नगर परिषद करनावद	15	15	124	नगर परिषद टोंकखुर्द	15	15
		73	नगर परिषद हाटपिपल्या	15	18	125	नगर परिषद भौंरासा	15	15
		74	नगर परिषद् कन्नौद	15	21	126	नगर परिषद सोनकच्छ	15	19
		75	नगर परिषद् सतवास	15	15	127	नगर परिषद पीपलरावां	15	15
		76	नगर परिषद् लोहारदा	15	15				
		77	नगर परिषद् कांटाफोड	15	15				
		78	नगर परिषद् खातेगांव	15	29				
		79	नगर परिषद् नेमावर	15	15				
				135	158			105	333

31	सागर	80	नगरपालिक निगम सागर	48	251	128	नगरपालिका परिषद देवरी	15	30
		81	नगरपालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग	18	60	129	नगरपालिका परिषद बीना	25	67
		82	नगरपालिका परिषद रहली	15	33	130	नगर परिषद् बंडा	15	29
		83	नगर परिषद् शाहपुर	15	15	131	नगर परिषद् शाहगढ़	15	17
		84	नगर परिषद बिलहरा*	15	17	132	नगर परिषद् राहतगढ़	15	30
		85	नगर परिषद सुरखी*	15	18	133	नगर परिषद मालथौन*	15	24
						134	नगर परिषद बांदरी*	15	28
						135	नगर परिषद बरोदियाकला*	15	18
				126	394			130	243
32	छतरपुर	86	नगरपालिका परिषद छतरपुर	40	149	136	नगर परिषद् बारीगढ़	15	15
		87	नगर परिषद् खजुराहो	15	25	137	नगर परिषद् लवकुश नगर	15	22
		88	नगर परिषद् राजनगर	15	18	138	नगर परिषद् चन्दला	15	15
		89	नगर परिषद् हरपालपुर	15	18	139	नगरपालिका परिषद नौगांव	20	43
						140	नगरपालिका परिषद महाराजपुर	15	30
						141	नगर परिषद् गढ़ीमलहरा	15	16
						142	नगर परिषद् बिजावर	15	20
						143	नगर परिषद् सटई	15	15
						144	नगर परिषद् बड़ामलहरा	15	16
						145	नगर परिषद् धुवारा	15	15
						146	नगर परिषद् बकस्वाहा	15	15
				85	210			170	222
33	दमोह	90	नगर परिषद् पथरिया	15	23	147	नगरपालिका परिषद हटा	15	32
		91	नगरपालिका परिषद दमोह	39	120	148	नगर परिषद् पटेरा	15	15
		92	नगर परिषद् हिंडोरिया	15	17	149	नगर परिषद् तेन्दूखेड़ा	15	18
				69	160			45	65
34	टीकमगढ़	93	नगर परिषद् बल्देवगढ़	15	15	150	नगरपालिका परिषद टीकमगढ़	27	81
		94	नगर परिषद् खरगापुर	15	19	151	नगर परिषद् बड़ागांव धसान	15	15
						152	नगर परिषद् कारी	15	15
						153	नगर परिषद् जतारा	15	20
						154	नगर परिषद् पलेरा	15	17
						155	नगर परिषद् लिधौरा	15	15
				30	34			102	163
35	निवाड़ी	95	नगर परिषद् निवाड़ी	15	33	156	नगर परिषद् जैरोन	15	15
		96	नगर परिषद् तरीचरकला	15	15	157	नगर परिषद् पृथ्वीपुर	15	30
		97	नगर परिषद् ओरछा	15	17				
				45	65			30	45
36	पन्ना	98	नगर परिषद् ककरहटी	15	15	158	नगर परिषद् पवई	15	16
		99	नगर परिषद् अजयगढ़	15	17	159	नगर परिषद् अमानगंज	15	18
		100	नगर परिषद् देवेन्द्रनगर	15	15	160	नगर परिषद् गुन्नौर *	15	15
		101	नगरपालिका परिषद पन्ना	28	71				
				73	118			45	49
37	रीवा	102	नगर परिषद् हनुमना	15	17	161	नगरपालिक निगम रीवा	45	232
		103	नगर परिषद् मउगंज	15	25	162	नगर परिषद् गोविन्दगढ़	15	15
		104	नगर परिषद् नईगढ़ी	15	15	163	नगर परिषद् गूढ़	15	15
						164	नगर परिषद् मनगंवा	15	15
						165	नगर परिषद् सिरमौर	15	15
						166	नगर परिषद् बैकुन्ठपुर	15	15
						167	नगर परिषद् सेमरिया	15	16
						168	नगर परिषद् त्यौंथर	15	17

						169	नगर परिषद् चाकघाट	15	15
						170	नगर परिषद डभौरा*	15	25
				45	57			180	380
38	सिंगरौली	105	नगरपालिक निगम सिंगरौली	45	240				
				45	240				
39	सीधी					171	नगर परिषद् मझौली	15	15
						172	नगर परिषद् चुरहट	15	16
						173	नगरपालिका परिषद सीधी	24	56
						174	नगर परिषद् रामपुर नैकिन	15	15
								69	102
40	सतना	106	नगरपालिक निगम सतना	45	290	175	नगरपालिका परिषद् मैहर	24	56
		107	नगर परिषद् चित्रकूट	15	25	176	नगर परिषद् नागौद	15	23
		108	नगर परिषद् उचेहरा	15	19	177	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	15	15
		109	नगर परिषद् जैतवारा	15	15	178	नगर परिषद् न्यू रामनगर	15	26
		110	नगर परिषद् कोठी	15	15	179	नगर परिषद् अमरपाटन	15	23
		111	नगर परिषद् बिरसिंहपुर	15	15	180	नगर परिषद् कोटर	15	15
				120	379			99	158
41	नर्मदापुरम	112	नगरपालिका परिषद इटारसी	34	97	181	नगरपालिका परिषद नर्मदापुरम	33	114
		113	नगर परिषद् सोहागपुर	15	29	182	नगरपालिका परिषद पिपरिया	21	48
						183	नगरपालिका परिषद सिवनी मालवा	15	30
						184	नगर परिषद् बनखेड़ी	15	23
						185	नगर परिषद् माखन–नगर	15	17
				49	126			99	232
42	बैतूल	114	नगरपालिका परिषद् बैतूल	33	102	186	नगरपालिका परिषद मुलताई	15	35
		115	नगरपालिका परिषद आमला	18	36	187	नगर परिषद् भैंसदेही	15	15
		116	नगर परिषद् शाहपुर*	15	15	188	नगर परिषद घोड़ाडोंगरी*	15	15
						189	नगर परिषद् बैतूल बाजार	15	15
				66	153			60	80
43	हरदा	117	नगरपालिका परिषद् हरदा	35	92				
		118	नगर परिषद् खिरकिया	15	26				
		119	नगर परिषद् टिमरनी	15	27				
		120	नगर परिषद सिराली*	15	16				
				80	161				
44	शहडोल					190	नगर परिषद् ब्योहारी	15	28
						191	नगर परिषद् खांड	15	15
						192	नगरपालिका परिषद धनपुरी	28	54
						193	नगर परिषद बकहो*	15	25
								73	122
45	उमरिया	121	नगर परिषद नौरोजाबाद	15	25	194	नगर परिषद मानपुर*	15	22
		122	नगर परिषद् चन्दिया	15	16				
		123	नगरपालिका परिषद उमरिया	24	36				
				54	77			15	22
46	अनूपपुर	124	नगर परिषद अमरकंटक	15	16	195	नगरपालिका परिषद अनूपपुर	15	27
						196	नगरपालिका परिषद पसान	18	28
						197	नगर परिषद बनगवां (राजनगर)*	15	22
						198	नगर परिषद डोला*	15	15
						199	नगर परिषद डूमरकछार*	15	15
				15	16			78	107
47	भिण्ड	125	नगरपालिका परिषद लहार**	15	37	200	नगरपालिका परिषद भिण्ड	39	174

		126	नगर परिषद मिहोना	15	21	201	नगरपालिका परिषद गोहद	18	56
		127	नगर परिषद आलमपुर	15	16	202	नगर परिषद् फूफ	15	16
		128	नगर परिषद दबोह	15	21	203	नगर परिषद् अकोड़ा	15	15
		129	नगर परिषद रौन*	15	29	204	नगर परिषद् मौ	15	24
						205	नगर परिषद् मेहगांव	15	28
						206	नगर परिषद् गोरमी	15	25
						207	नगर परिषद मालनपुर*	15	15
				75	124			147	353
48	श्योपुर	130	नगरपालिका परिषद श्योपुर	23	66	208	नगर परिषद् विजयपुर	15	19
		131	नगर परिषद् बड़ौदा	15	17				
				38	83			15	19
49	मुरैना	132	नगरपालिका परिषद पोरसा	15	39	209	नगरपालिक निगम मुरैना	47	379
		133	नगरपालिका परिषद अम्बाह	18	50	210	नगरपालिका परिषद सबलगढ़	18	40
						211	नगर परिषद् बानमोर	15	38
						212	नगर परिषद् झुण्डपुरा	15	15
						213	नगर परिषद् कैलारस	15	31
						214	नगर परिषद् जौरा	18	43
				33	89			128	546
			कुल	2850	13148			3657	6829

*नवगठित नगरीय निकाय

**नगर परिषद से नगरपालिका परिषद में उन्नयन

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022
निर्वाचन कार्यक्रम (तिथियॉं)

क्र	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख		समय
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करना।	21, 22	11–06–2022 (शनिवार)		प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बंध में सूचना का प्रकाशन।	22(क)	11–06–2022 (शनिवार)		प्रातः 10:30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन।	16	11–06–2022 (शनिवार)		प्रातः 10:30 बजे से
2	नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख।	21(क)	18–06–2022 (शनिवार)		प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
3	नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21(ख)	20–06–2022 (सोमवार)		प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख।	21(ग)	22–06–2022 (बुधवार)		प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन।	30, 31	22–06–2022 (बुधवार)		अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	**06–07–2022 (बुधवार)**	**13–07–2022 (बुधवार)**	प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा।	21(ङ)	**17–07–2022 (रविवार)**	**18–07–2022 (सोमवार)**	प्रातः 9:00 बजे से

नगर पालिका निर्वाचन

उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, शासकीय विभागों और नगरीय निकायों तथा उनके कर्मचारियों

के लिए

आदर्श आचरण संहिता

जनवरी 2019

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011
Website-www.mplocalelection.gov.in
Email : commissionersec@gmail.com

नगरपालिका निर्वाचन
के लिए
आदर्श आचरण संहिता

इस संहिता के प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे।

भाग-एक—राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए

1. सामान्य आचरण :—

(1) किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेंस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।

(3) पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(4) किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो; और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(5) किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए। दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अन्तर्गत अपराध हों, जैसे कि :—

(i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्फ्लेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,

(ii) किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,

(iii) किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,

(iv) मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना,

(v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक या प्रलोभन देना,

(vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,

(vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने एवं/या वापिस ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(viii) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,

(ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना।

(8) मतदान समाप्त होने के समय से 48 घन्टे पूर्व से शराब की दूकानें बन्द रखी जाएंगी। अतः इस अवधि में किसी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाय और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए।

(9) किसी भी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसको अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए।

शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(10) किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

(11) राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके सरल क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।

(13) (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान, :

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या

(ख) चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या किसी मनोरंजन द्वारा या आमोद-प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा मतदाताओं को उसके प्रति आकर्षित करने के प्रयोजन से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

2. सभाएं एवं जुलूस :—

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके।

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी अन्य दल या अभ्यर्थी द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

(3) किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हों। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

(4) जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सके।

(5) प्रत्येक अभ्यर्थी या राजनैतिक दल को किसी अन्य अभ्यर्थी या दल अथवा किसी समुदाय विशेष के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

(6) सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए।

3. **शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबन्ध :—**

शासकीय, सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के स्वयं के अथवा उनके द्वारा किराए पर अनुबंधित वाहनों, विमानों एवं अन्य संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, सांसदों, विधायकों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों अथवा अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

4. **** निर्वाचन घोषणा पत्र :—**

(1) निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप न हो एवं जिससे निर्वाचन की शुचिता एवं निष्पक्षता किसी भी प्रकार से प्रभावित होती हो।

(2) राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया के शुचिता को दूषित करे या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले।

(3) पारदर्शिता एवं सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि घोषणा पत्रों में प्रस्तावित वायदों का औचित्य एवं उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय साधन किस प्रकार जुटाये जायेंगे इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास केवल ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो।

** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 21455/2008-(एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडू सरकार एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 5-7-2013 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्वाचन घोषणा पत्र तैयार करने के संबंध में उक्त अपेक्षा को शामिल किया गया है।

भाग-दो—केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिष्ठानों एवं उनके कर्मियों के लिये

(केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा उनके प्रतिष्ठानों द्वारा ऐसों से है जिनके नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अभिप्राय है वेतन का भुगतान इनके द्वारा किया जाना है।)

1. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना का कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना। इसी प्रकार इस अवधि में किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत किसी निर्माण कार्य, सुविधा विस्तार या विकास कार्य आदि के लिए शासन का कोई भी विभाग निविदायें (टेन्डर) आहूत नहीं करेगा।

2. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहिये। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे हैं।

3. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री, सांसद, विधायक अथवा सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि का कोई पदाधिकारी किसी के निजी मकान अथवा परिसर पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक अभ्यर्थी या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस अभ्यर्थी या दल को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।

नोट.—माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13224/2015 दिनांक 08-12-2015 में आयोग को दिये दिशा-निर्देश के अनुपालन में।

5. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है। परन्तु किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6. (1) साधारणतः चुनाव के समय जो भी आमसभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ऐंसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए।

(2) यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी नगरीय क्षेत्र या भ्रमण करें (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।

7. निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या सांसदों या विधायकों द्वारा किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में, जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान, जनसम्पर्क या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

8. इस अवधि के दौरान ऐसे नगरीय निकाय के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी योजना का, या नवीन नागरिक सुविधाओं या सेवाओं का, भले ही उनका निर्माण राज्य सरकार या संबंधित नगरीय निकाय द्वारा न किया गया हो या प्रस्तावित हो, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

9. चुनाव के दौरान समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाने चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे सत्ताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।

भाग-तीन —नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए

(नोट:—इस भाग में नगरपालिका से अभिप्राय, यथास्थिति, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् से है।)

1. नगरपालिका कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे हैं।

2. निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने के दिनांक तक :—

(i) नगरपालिका के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) नगरपालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए नवीन अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए।

(iii) नगरपालिका क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे कि किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत करना या नालियों को पक्का करना, नल-जल योजना का विस्तार करना, नये हैंडपंप लगाना या नयी स्ट्रीट लाईट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) किसी भी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। महापौर/अध्यक्ष/पार्षदों द्वारा स्वेच्छानुदान राशि में से भी किसी कार्य या गतिविधि के लिए कोई सहायता राशि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए।

(v) समाचार-पत्रों या प्रचार के अन्य माध्यमों से नगरपालिका के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें नगरपालिका की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो।

(vi) नगरीय निकायों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले, परिवार मूलक या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (जैसे कि रोजगार/व्यवसाय के लिए सहायता, आवास निर्माण के लिए सहायता, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि) के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान नगरपालिका के किसी पदधारी (जैसे कि महापौर/अध्यक्ष/पार्षद) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में नगरपालिका के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

भाग-चार—प्रेक्षक के संबंध में

(1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को शासकीय एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपना दायित्व प्रभावी तरीके से निभा सकें।

(2) निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो उनके द्वारा इसकी सूचना प्रेक्षक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(3) शासकीय विश्राम भवन निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों/पदाधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जायेंगे। जब किसी विश्राम भवन में आयोग के प्रेक्षक रुके हों तब उसमें किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित किसी व्यक्ति को कक्ष आवंटित नहीं किए जायेंगे।

स्थान : भोपाल

दिनांक . . . .

बसंत प्रताप सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त
मध्यप्रदेश.

शाकेमुभो—591—रानिआ—31-1-19—65,000.